न्यायालयः मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सिवान

विविध वाद संख्या–105/2022
निबंधन संख्या–105/2022

आदेश

16.02.2023 आवेदिका अनुपस्थित है। वाद पुकारा गया। वाद पुकार पर आवेदिका की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ।

अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि आवेदिका द्वारा यह विविध वाद परिवाद पत्र संख्या–944/2022 जो वर्तमान में अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी पंचम्, सिवान के रिक्त न्यायालय में लंबित है, जिसके कारण उक्त वाद में अग्रिम कार्रवाई बाधित है। अतः निवेदन किया गया कि परिवाद पत्र संख्या–944/2022 को रिक्त न्यायालय से वापस लेकर किसी अन्य न्यायालय में स्थानांतरित करने की कृपा की जाय।

पूर्व में सुनवाई के क्रम में परिवाद पत्र संख्या–944/2022 के अभिलेख को रिक्त न्यायालय से तलब किया गया, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि उक्त वाद को इस न्यायालय द्वारा अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी पंचम्, सिवान के न्यायालय में जांच एवं अग्रिम कार्रवाई हेतु भेजा गया था। वर्तमान में उक्त न्यायालय रिक्त है। ऐसी स्थिति में परिवाद पत्र संख्या–944/2022 के अभिलेख को रिक्त न्यायालय से वापस लेकर श्रीमति शालिनी शुक्ला, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, सिवान के न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश दिया जाता है, तत्पश्चात इस विविध वाद को निष्पादित किया जाता है। कार्यालय इस विविध वाद के अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखगृह में जमा करें एवं परिवाद पत्र संख्या–105/2022 के मूल अभिलेख को इस आदेश की प्रतिलिपि के साथ अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी पंचम्, सिवान के कार्यालय में वापस भेजें तथा इस आदेश की एक प्रति श्रीमति शालिनी शुक्ला, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, सिवान को भी सूचनार्थ प्रेषित करें।

लेखापित

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी